संख्या-245/2018/53/22-2-2018-17(11)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबूलाल पुत्र श्री राधिका, निवासी जनपद-इलाहाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3 (एम-21-12-2017) दिनांक-29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 29-12-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बाबूलाल पुत्र श्री राधिका, निवासी-देवरी, थाना-माण्डा, जनपद-इलाहाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने पशुओं के लेने देन के विवाद में दिनांक 22-02-1978 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर बन्दूक से गोली मारकर कालीदीन की हत्या कर दी और राजबली को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307, 394/34 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.09.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 2019, 2119/1980 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2001 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.10.2017 तक 16 वर्ष 11 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 07 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने पशुओं के लेने देन के विवाद में दिनांक 22-02-1978 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर बन्दूक से गोली मारकर कालीदीन की हत्या करने व राजबली को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 52 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाबूलाल पुत्र श्री राधिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बाबूलाल (बन्दी संख्या-3636/2001) पुत्र श्री राधिका, निवासी जनपद-इलाहाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-245/2018/53(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-245/2018/53/22-2-2018-17(11)/2018
दिनांक 23 मार्च, 2018 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी बाबूलाल (बन्दी संख्या-3636/2001) पुत्र श्री राधिका, निवासी-देवरी, थाना-माण्डा, जनपद-इलाहाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने पशुओं के लेने देन के विवाद में दिनांक 22-02-1978 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर बन्दूक से गोली मारकर कालीदीन की हत्या कर दी और राजबली को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307, 394/34 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.09.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 2019, 2119/1980 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2001 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.10.2017 तक 16 वर्ष 11 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 07 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने पशुओं के लेने देन के विवाद में दिनांक 22-02-1978 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर बन्दूक से गोली मारकर कालीदीन की हत्या करने व राजबली को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 52 वर्ष लगभग है**,** शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाबूलाल पुत्र श्री राधिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in